27/7/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर आवेदक की ओर से पर्वत राम पर्वतराम उपस्थित हुआ एवं सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का केड़ाल के मौजा लाडवा के खसरा 612 रकबा 00.00 मीटर किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2014 में खनालाल पर्वतराम पुत्र भोलाराम कोम जाट निवासी - लाडवा के विरुद्ध भूमि हड़पने करने के सम्बन्ध में की रिपोर्ट पेश की जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर आवेदक के विरुद्ध अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में की रिपोर्ट पेश की जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया गैर आवेदक की ओर से पर्वतराम उपस्थित हुआ एवं सुना गया राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण होने से भूमि खाली घोषित किया जाकर राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को मौखिक रूप से बेदखल कर आरोपी के खाते का पंचायत समिति रायपुर 2/- (दो रुपये मात्र) कायम किये गये है। पटवारी हल्का केड़ाल को मौखिक बेदखली एवं गुमशुदा 2017 की बरसाती है लिखा जाकर पत्रावली दुबारा भेजा जाता है। एक साल से रिपोर्ट को भेजा जाकर पत्रावली फैसल हेतु पेश होकर अवधि से कम से निर्धारित समय दिनांक 27/7/2017 को एक ही न्यायालय के सुनाया गया।

तहसीलदार, पिपाड़ बड़ी
(जालौर - राजस्थान)